FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

सरकार द्वारा दी गई गारंटियां : अपेक्षित प्रकटीकरण (आई.जी.ए.एस-I)

GUARANTEES GIVEN BY GOVERNMENT: DISCLOSURE REQUIREMENTS (IGAS-1)

(क) संघ सरकार द्वारा वर्ष 2013-14 के दौरान दी गई गारंटियों के संबंध में सेक्टरवार प्रकटीकरण

(a) Sector-wise disclosures in respect of Guarantees given by the Union Government during the year 2013-14: -

मंत्रालय/विभाग का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान याचित के अलावा)	वर्ष के दौरान मांगी गई		वर्ष के अंत में	बकाया गारंटी	कमीशन अथवा फीस
Name of Ministry/	Maximum	Outstanding	Additions	Deletion	Invoke	d during	Outstanding	Guarantee C	ommission or Fee
Department	Amount	at the	during the	during the	the	year	at the		
	Guaranteed	beginning of	year	year (Other			end of		
	duringthe	the year		than invoked	उन्मोचित	अननुमोचित	the year		
	year			duringthe	Discharged	Not		प्राप्य	प्राप्त की गई
				year)		Discharged		Receivable	Received
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									करोड़ रुपयों में)
									(In crore of rupees)

क्षेत्र - (i) - विद्युत Sector - (i) - Power

वर्ग-(ii) शेयर पूंजी की पुनर्अदायगी, न्यूनतम वार्षिक लाभांश की अदायगी और सांविधिक निगमों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए गए/वसूल किए गए बांडों/कर्जी, डिबेंचरों की पुनर्अदायगी के लिए लिए दी गई गारंटियां -

Class - (ii) Guarantees given for repayment of share capital, payment of minimum annual dividend and repayment of bonds/loans, debentures issued/raised by the statutory corporations and financial institutions: -

विद्युत मंत्रालय

MINISTRY OF POWER	7000.00	7000.00	_	 _	 7000.00	70.00	70.00
	(2)	(2)			(2)		

वर्ग-(iii) भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, उधार देने वाले विदेशी अभिकरणों, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की पुनर्अदायगी, उनके द्वारा लिए गए कर्जों आदि पर ब्याज/वचनबद्धता प्रभारों आदि की अदायगी के बारे में और कम्पनियों, निगमों/पत्तन न्यासों आदि के सम्बन्ध में क्रेडिट के आधार पर सामग्री और उपस्करों की आपूर्ति संबंधी करारों के लिए की गई अदायगी के अनुसरण में दी गई गार्रिटयां:-

Class – (iii) Guarantees given in pursuance of agreements entered into by the Government of India with international financial institutions, foreign lending agencies, foreign Governments, contractors, consultants, etc., towards repayment of principal, payment of interest/commitment charges on loans, etc., by them, and payment against agreements for supplies of material and equipment on credit basis, to the companies, corporations/Port Trusts, etc:–

विद्युत मंत्रालय									
MINISTRY OF POWER	30558.45	25993.11	4565.34	1799.09	_	_	28759.36	309.65	309.65
	(42)	(42)		(3)			(39)		
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय									
MINISTRY OF NEW AND									
RENEWABLE ENERGY	3555.14	3112.75	442.39	71.17	_	_	3483.97	35.76	35.76
	(8)	(8)					(8)		
कोयला मंत्रालय									
MINISTRY OF COAL	1959.02	1845.52	113.50	1162.64	_	_	796.38	19.56	20.22
	(5)	(5)		(2)			(3)		

क्षेत्र - (ii) - सहकारी समिति Sector - (ii) - Co-operative

वर्ग-(i) भारतीय रिजर्व बैंक, अन्य बैंकों, औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं, नामतः भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया आदि को मूलधन की पुनर्अदायगी और ब्याज की अदायगी, रोकड़ उधार संबंधी सुविधा, मौसमी कृषि संबंधी कार्यों का वित्तपोषण करने और कंपनियों, निगमों, सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंकों के सम्बन्ध में कार्यचालन पूंजी प्रदान करने हेत् दी गई गारंटियां।

Class - (i) Guarantees given to the Reserve Bank of India, other banks, industrial financial institutions viz., Industrial Finance Corporation of India, Industrial Development Bank of India, Life Insurance Corporation of India, Unit Trust of India, etc., for repayment of principal and payment of interest, cash credit facility, financing seasonal agricultural operations and for providing working capital in respect of companies, corporations, co-operative societies and co-operative banks.

कृषि मंत्रालय—
MINISTRY OF
AGRICULTURE—
कृषि और सहकारिता विभाग

Department of
Agriculture and Co-operation 2500.00 — 2500.00 — — — 2500.00 8.69 8.69

(1) (1) (1)

क्षेत्र - (iii) - सिंचाई Sector - (iii) - Irrigation

FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT सरकार द्वारा दी गई गारंटियां : अपेक्षित प्रकटीकरण (आई.जी.ए.एस-I)...जारी

GUARANTEES GIVEN BY GOVERNMENT: DISCLOSURE REQUIREMENTS (IGAS-1)-Contd.

मंत्रालय/विभाग का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान याचित के अलावा)	वर्ष के मांगी गई		वर्ष के अंत में ब	काया गारंटी व	कमीशन अथवा फीस
Name of Ministry/	Maximum	Outstanding	Additions	Deletion	Invoked	d during	Outstanding	Guarantee (Commission or Fee
Department	Amount	at the	during the	during the	the	year	at the		
	Guaranteed	beginning of	year	year (Other			end of		
	during the	the year		than invoked	उन्मोचित	अननुमोचित	the year		
	year			during the	Discharged	Not		प्राप्य	प्राप्त की गई
				year)		Discharged		Receivable	Received
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									(करोड़ रुपयों में)

(कराड़ रुपया म)

(In crore of rupees)

क्षेत्र - (iv) - सड़क और परिवहन Sector - (iv) - Road and Transport

वर्ग-(ii) शेयर पूंजी की पुनर्अदायगी, न्यूनतम वार्षिक लाभांश की अदायगी और सांविधिक निगमों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए गए/वसूल किए गए बांडों/कर्जी, डिबेंचरों की पुनर्अदायगी के लिए दी गई गारंटियां:-

Class - (ii) Guarantees given for repayment of share capital, payment of minimum annual dividend and repayment of bonds/loans, debentures issued/raised by the statutory corporations and financial institutions: -

रेल मंत्रालय

MINISTRY OF RAILWAYS	59.07	59.07	_	59.00	 _	0.07	0.05	0.05
	(3)	(3)		(1)		(2)		

वर्ग-(iii) भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, उधार देने वाले विदेशी अभिकरणों, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की पुनर्अदायगी, उनके द्वारा लिए गए कर्जों आदि पर ब्याज/वचनबद्धता प्रभार आदि की अदायगी के बारे में और कम्पनियों, निगमों/पत्तन न्यासों आदि के सम्बन्ध में क्रेडिट के आधार पर सामग्री और उपस्करों की आपूर्ति संबधी करारों के लिए की गई अदायगी के अनुसरण में दी गई गार्रिटयां:-

Class - (iii) Guarantees given in pursuance of agreements entered into by the Government of India with international financial institutions, foreign lending agencies, Governments, contractors, consultants, etc., towards repayment of principal, payment of interest/commitment charges on loans, etc., by them, and payment against agreements for supplies of material and equipment on credit basis, to the companies, corporations/Port Trusts, etc:-

नागर विमानन मंत्रालय									
MINISTRY OF CIVIL AVIATION 2753	37.74 2	7450.74	87.00	961.13	_	_	26576.61	98.58	1.61
(2	20)	(20)					(20)		
	3.72 (1)	673.72 (1)	_	32.36	_	_	641.36 (1)	1.68	1.68
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE आर्थिक कार्य विभाग									
Department of Economic Affairs 26	50.51	260.51	—	43.60	_	_	216.91	1.71	1.71
((1)	(1)					(1)		

क्षेत्र - (v) - राज्य वित्तीय निगम

Sector - (v) - State Financial Corporations

— शून्य / NIL —

क्षेत्र - (vi) - शहरी विकास और आवास

Sector - (vi) - Urban Development and Housing

वर्ग-(iii) भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, उधार देने वाले विदेशी अभिकरणों, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की पुनर्अदायगी, उनके द्वारा लिए गए कर्जों आदि पर ब्याज/वचनबद्धता प्रभार आदि की अदायगी के बारे में और कम्पनियों, निगमों/पत्तन न्यासों आदि के सम्बन्ध में क्रेडिट के आधार पर सामग्री और उपस्करों की आपूर्ति संबंधी करारों के लिए की गई अदायगी के अनुसरण में दी गई गारंटियां:-

Class - (iii) Guarantees given in pursuance of agreements entered into by the Government of India with international financial institutions, foreign lending agencies, foreign Governments, contractors, consultants, etc., towards repayment of principal, payment of interest/commitment charges on loans, etc., by them, and payment agreements for supplies of material and equipment on credit basis, to the companies, corporations/Port Trusts, etc:-

FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT सरकार द्वारा दी गई गारंटियां : अपेक्षित प्रकटीकरण (आई.जी.ए.एस-I)...जारी

GUARANTEES GIVEN BY GOVERNMENT: DISCLOSURE REQUIREMENTS (IGAS-1)—Contd.

मंत्रालय/विभाग का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान याचित के अलावा)	वर्ष के दौरान मांगी गई		वर्ष के अंत में बकाया गारंटी कमीशन		कमीशन अथवा फीस
Name of Ministry/	Maximum	Outstanding	Additions	Deletion	Invoke	d during	Outstanding	Guarantee (Commission or Fee
Department	Amount	at the	during the	during the	the	year	at the		
		beginning of	year	year (Other	———— उन्मोचित	अन्यामेनिय	end of		
	during the year	the year		than invoked during the	Discharged	अननुमोचित Not	the year	प्राप्य	प्राप्त की गई
	your			year)	Discharged	Discharged		Receivable	Received
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
शहरी विकास मंत्रालय MINISTRY OF URBAN								(करोड़ रुपयों में) In crore of rupees)
DEVELOPMENT	209.26	209.26	_	_	_	_	209.26	2.51	2.51
	(2)	(2)					(2)		
आवास और घाहरी गरीबी निवारण मंत्रा MINISTRY OF HOUSING ANI URBANPOVERTY ALLEVATI वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE आर्थिक कार्य विभाग)	585.70 (2)	40.24	54.91	_	_	571.03 (2)	4.86	4.86
Department of Economic Affair	s 711.68 (3)	711.68 (3)	_	37.39	_	_	674.29 (3)	2.77	2.77

क्षेत्र - (vii) - अन्य अवसंरचना Sector-(vii)-Other Infrastructure

वर्ग-(ii) शेयर पूंजी की पुनर्अदायगी, न्यूनतम वार्षिक लाभांश की अदायगी और सांविधिक निगमों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए गए बांडों/कर्जी, डिबेंचरों की पुनर्अदायगी के लिए दी गई गारंटियां:—Class-(ii) Guarantees given for repayment of share capital, payment of minimum annual dividend and repayment of bonds/loans, debentures issued/raised by the statutory corporations and financial institutions:-

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

AND INFORMATION TECHNOLOGY

दूरसंचार विभाग

Department of 3747.10 1007.10 2740.00 2.10 — — 3745.00 19.86 19.86
Telecommunications (4) (2) (2) (1) (3)

वर्ग-(iii) भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, उधार देने वाले विदेशी अभिकरणों, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की पुनर्अदायगी, उनके द्वारा लिए गए कर्जों आदि पर ब्याज/वचनबद्धता प्रभार आदि की अदायगी के बारे में और कम्पनियों, निगमों/पत्तन न्यासों आदि के सम्बन्ध में क्रेडिट के आधार पर सामग्री और उपस्करों की आपूर्ति संबंधी करारों के लिए की गई अदायगी के अनुसरण में दी गई गारंटियां:—

Class-(iii) Guarantees given in pursuance of agreements entered into by the Government of India with international financial institutions, foreign lending agencies, foreign Governments, contractors, consultants, etc., towards repayment of principal, payment of interest/commitment charges on loans, etc., by them, and payment against agreements for supplies of material and equipment on credit basis, to the companies, corporations/Port Trusts, etc:-

वित्त मंत्रालय

MINISTRY OF FINANCE

आर्थिक कार्य विभाग

Department of Economic Affairs 634.55 634.55 — 74.61 — — 559.94 4.19 4.19 (4)

क्षेत्र - (viii) - कोई अन्य

Sector - (viii) - Any Other

वर्ग-(i) भारतीय रिजर्व बैंक, अन्य बैंकों, औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं, नामतः भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया आदि को मूलधन की पुनर्अदायगी और ब्याज की अदायगी, रोकड़ उधार संबंधी सुविधा, मौसमी कृषि संबंधी कार्यों का वित्तपोषण करने और कंपनियों, निगमों, सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंकों के सम्बन्ध में कार्यचालन पूंजी प्रदान करने हेतु दी गई गारंटियां।

Class - (i) Guarantees given to the Reserve Bank of India, other banks, industrial financial institutions viz., Industrial Finance Corporation of India, Industrial Development Bank of India, Life Insurance Corporation of India, Unit Trust of India, etc., for repayment of principal and payment of interest, cash credit facility, financing seasonal agricultural operations and for providing working capital in respect of companies, corporations, co-operative societies and co-operative banks.

उद्योग मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग									
MINISTRY OF INDUSTRY	479.01	479.01	_	30.00	_	_	449.01	19.45	6.29
Department of Heavy Industries	(9)	(9)					(9)		

FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT सरकार द्वारा दी गई गारंटियां : अपेक्षित प्रकटीकरण (आई.जी.ए.एस-I)...जारी GUARANTEES GIVEN BY GOVERNMENT: DISCLOSURE REQUIREMENTS (IGAS-1)—Contd.

मंत्रालय/विभाग का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान याचित के अलावा)	वर्ष के मांगी गई		वर्ष के अंत में बक	गया गारंटी कमी	शन अथवा फीस
Name of Ministry/	Maximum	Outstanding		Deletion		d during	Outstanding	Guarantee Con	nmission or Fee
Department	Amount Guaranteed	at the beginning of	during the year	during the year (Other	the	year	at the end of		
	during the	the year	,	than invoked		 अननुमोचित	the year		
	year			during the	Discharged	Not		प्राप्य	प्राप्त की गई
1	2	3	4	year) 5	6	Discharged 7	8	Receivable 9	Received 10
•	-	J		5	Ü	,	Ü		
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय									नरोड़ रुपयों में) crore of rupees)
MINISTRY OF CONSUMER A									
FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION	54495.00 (2)	54495.00 (2)	_	_	_	_	54495.00 (2)	_	_
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग MINISTRY OF MICRO, SMAI MEDIUM ENTERPRISES, Khadi & Village Industries Commission (KVIC)	288.00 (1)	288.00 (1)	_	3.00	_	_	285.00 (1)	65.60	_
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय तथा रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS Department of Chemicals and Petrochemicals	3.59 (1)	3.59 (1)	_	_	_	_	3.59 (1)	0.04	_

औषघ निर्माण विभाग Department of Pharmaceuticals	1055.40 (4)	1039.68 (4)	15.72	_	_	_	1055.40 (4)	67.39	_
इस्पात मंत्रालय MINISTRY OF STEEL	25.00 (1)	25.00 (1)	_	25.00 (1)	_	_	_	0.25	_
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE आर्थिक कार्य विभाग									
Department of Economic Affairs	22607.11 (19)	21218.80 (17)	1388.31 (2)	10100.00 (3)	_	_	12507.11 (16)	61.11	60.89
			· - 				A	```````	>

वर्ग-(ii) शेयर पूंजी की पुनर्अदायगी, न्यूनतम वार्षिक लाभांश की अदायगी और सांविधिक निगमों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए गए/वसूल किए गए बांडों/कर्जी, डिबेंचरों की पुनर्अदायगी के लिए दी गई गारंटियां:-

Class - (ii) Guarantees given for repayment of share capital, payment of minimum annual dividend and repayment of bonds/loans, debentures issued/raised by the statutory corporations and financial institutions: -

उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION 8989.12 8000.00 16989.12 16989.12 (19) (18) (1) (19)इस्पात मंत्रालय MINISTRY OF STEEL 16.00 16.00 16.00 0.16 0.16 (1) (1) (1) रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग MINISTRY OF CHEMICALS **AND FERTILIZERS** Department of Chemicals 100.00 100.00 100.00 1.00 1.00 and Petrochemicals (1) (1) (1)

FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

सरकार द्वारा दी गई गारंटियां : अपेक्षित प्रकटीकरण (आई.जी.ए.एस-।)...जारी

GUARANTEES GIVEN BY GOVERNMENT: DISCLOSURE REQUIREMENTS (IGAS-1)-Contd.

मंत्रालय/विभाग का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	विलोपन (वर्ष के दौरान याचित के अलावा)	वर्ष के मांगी गई		वर्ष के अंत में ब	काया गारंटी क	मीशन अथवा फीस
Name of Ministry/ Department	Maximum Amount Guaranteed during the	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	Deletion during the year (Other than invoked		d during year अननुमोचित	Outstanding at the end of the year	Guarantee C	ommission or Fee
1	year 2	3	4	during the year)	Discharged 6	Not Discharged	•	प्राप्य Receivable 9	प्राप्त की गई Received 10
-	-	J	·	J	J	,	Ū		(करोड़ रुपयों में) n crore of rupees)

वर्ग-(iii) भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, उधार देने वाले विदेशी अभिकरणों, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की पुनर्अदायगी, उनके द्वारा लिए गए कर्जों आदि पर ब्याज/वचनबद्धता प्रभार आदि की अदायगी के बारे में और कम्पनियों, निगमों/पत्तन न्यासों आदि के सम्बन्ध में क्रेडिट के आधार पर सामग्री और उपस्करों की आपूर्ति संबंधी करारों के लिए की गई अदायगी के अनुसरण में दी गई गार्रेटियां:-

Class-(iii) Guarantees given in pursuance of agreements entered into by the Government of India with international financial institutions, foreign lending agencies, foreign Governments, contractors, consultants, etc., towards repayment of principal, payment of interest/commitment charges on loans, etc., by them, and payment against agreements for supplies of material and equipment on credit basis, to the companies, corporations/Port Trusts, etc:-

इस्पात मंत्रालय MINISTRY OF STEEL	533.71 (2)	451.38 (2)	82.33	25.11	_	_	508.60 (2)	1.10	1.10
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड National Small Industries Corporation Limited	71.89 (3)	60.86 (3)	11.03	2.05	_	_	69.84 (3)	0.55	0.40

वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग MINISTRY OF FINANCE Department of Economic Affa	airs 86762.42 (128)	73422.46 (99)	13339.96 (29)	6626.25	_	_	80136.17 (128)	129.73	123.84
वाणिज्य विभाग Department of Commerce	3.75 (1)	3.75 (1)	_	0.64	_	_	3.11 (1)	0.05	0.05
विदेश मंत्रालय MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS	6556.20 (2)	5784.45 (2)	771.75	_	_	_	6556.20 (2)	_	_

वर्ग- (iv) विदेशी पूर्तिकर्ताओं को उनके द्वारा उधार के आधार पर की गई पूर्तियों/दी गई सेवाओं के लिए निम्नलिखित कंपनियों/निगमों द्वारा जारी किए गए प्राधिकार पत्रों के सम्बन्ध में बैंकों को दी गई प्रति-गारंटियां:-

Class-(iv) Counter-guarantees to banks in consideration of the banks having issued letters of authority to foreign suppliers for supplies/services made/rendered by them on credit basis, in favour of the companies/corporations:—

इस्पात मंत्रालय									
MINISTRY OF STEEL	610.36	610.36	_	_	_	_	610.36	30.52	5.18
	(8)	(8)					(8)		